उत्तराखण्ड सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2011-12

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल सिद्धान्त

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संस्था का **दृष्टिकोण** लोक उपक्रम से सम्बन्धित लेखों एवं उन लेखाओं के अंकेक्षण को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय बनाना है। उन प्रचलित एवं सर्वोत्तम पद्यतियों को जो स्वतन्त्र, विश्वसनीय, सन्तुलित हो तथा लोक वित्त एवं शासन की समयबद्व आख्याओं के लिए जानी जाती हो, का अनुसरण किया जाता है।

भारत के संविधान के द्वारा अधिकृत हमारा **लक्ष्य** उच्च गुण युक्त अंकेक्षण एवं लेखाकरण द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहन देना है तथा अपने हितधारकों, विधानमण्डल, कार्यपालिका एवं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना है कि लोक निधि का उपयोग फलोत्पादक एवं निर्धारित किए गये उद्देश्य के लिये किया जा रहा हैं।

हमारे **मूल सिद्धान्त** उस सबके लिए जो हम करते हैं, का मार्ग दर्शक है तथा हमें अपनी उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए प्रकाश स्तम्भ प्रदान करते हैं, वे निम्न है:-

- स्वतत्रंता
- विषय परखता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक श्रेष्ठता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक सोच

विषय वस्तु

अध्याय-I	**परिचय**	**1-10**
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के श्रोत एवं उपयोग	4
1.5	लेखे के मुख्य बिन्दु	7
1.6	घाटा और आधिक्य क्या दर्शाता है?	8
अध्याय-II	**प्राप्तियां**	**11-17**
2.1	प्रस्तावना	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	12
2.4	राज्य द्वारा स्वयं के कर राजस्व संग्रह की उपलब्धि	14
2.5	कर वसूली की क्षमता	14
2.6	पिछले 5 वर्षों में संघीय करों मे राज्यांश की प्रवृत्ति	15
2.7	सहायक अनुदान	16
2.8	लोक ऋण	17
अध्याय-III	**व्यय**	**18-21**
3.1	प्रस्तावना	18
3.2	राजस्व व्यय	18
3.3	पूंजीगत व्यय	20
अध्याय-IV	**आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय**	**22-24**
4.1	व्ययों का भाग (2011-12)	22
4.2	आयोजनागत व्यय	22
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	23
4.4	वचनबद्ध व्यय	23
अध्याय-V	**विनियोग लेखे**	**25-30**
5.1	विनियोग लेखे का साराशं (2011-12)	25
5.2	पिछले 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	25
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	26
अध्याय-VI	**परिसम्पत्तियां एवं देयतायें**	**31-32**
6.1	परिसम्पत्तियां	31
6.2	ऋण एवं दायित्व	31
6.3	प्रतिभूतियां	32
अध्याय-VII	**अन्य मदें**	**33-36**
7.1	राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम	33
7.2	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	33
7.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश	34
7.4	लेखों का मिलान	34
7.5	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	35
7.6	सार आकस्मिक व्यय बिल एवं ब्यौरेवार बिल	35

अध्याय 1

विहंगालोकन

1.1. प्रस्तावना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन के प्राप्तियां एवं व्ययों के लेखाओं का संकलनकर्ता है। ये संकलन जिला कोषागार, लोक निर्माण, वन प्रभागों से प्राप्त प्रारम्भिक लेखाओं एवं भारतीय रिर्जव बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के संकलन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) तैयार करता है. वित्त एवं विनियोग लेखे वार्षिक रूप से तैयार किये जाते हैं जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा अंकेक्षण एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.2. लेखे की संरचना

1.2.1. शासकीय लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

भाग-I समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम।
भाग-II आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए बजट मे प्रावधान न किया गया हो। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से कर ली जाती है।
भाग-III लोक लेखा	इसमें ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उंच्चत लेन देन सम्मिलित हैं। ऋण एवं जमा शासन के देयताओं के पुर्नभुगतान को प्रदर्शित करते है। अग्रिम शासन द्वारा वसूल किए जाने योग्य होते है। प्रेषण एवं उचन्त लेनदेन समायोजन सम्बन्धी आंकड़े हैं। जिनको अन्तिम रूप से लेखे के अन्तिम शीर्षो में पुस्तांकित कर निस्तारित किया जाना होता है।

1.2.2. *लेखे का संकलन*

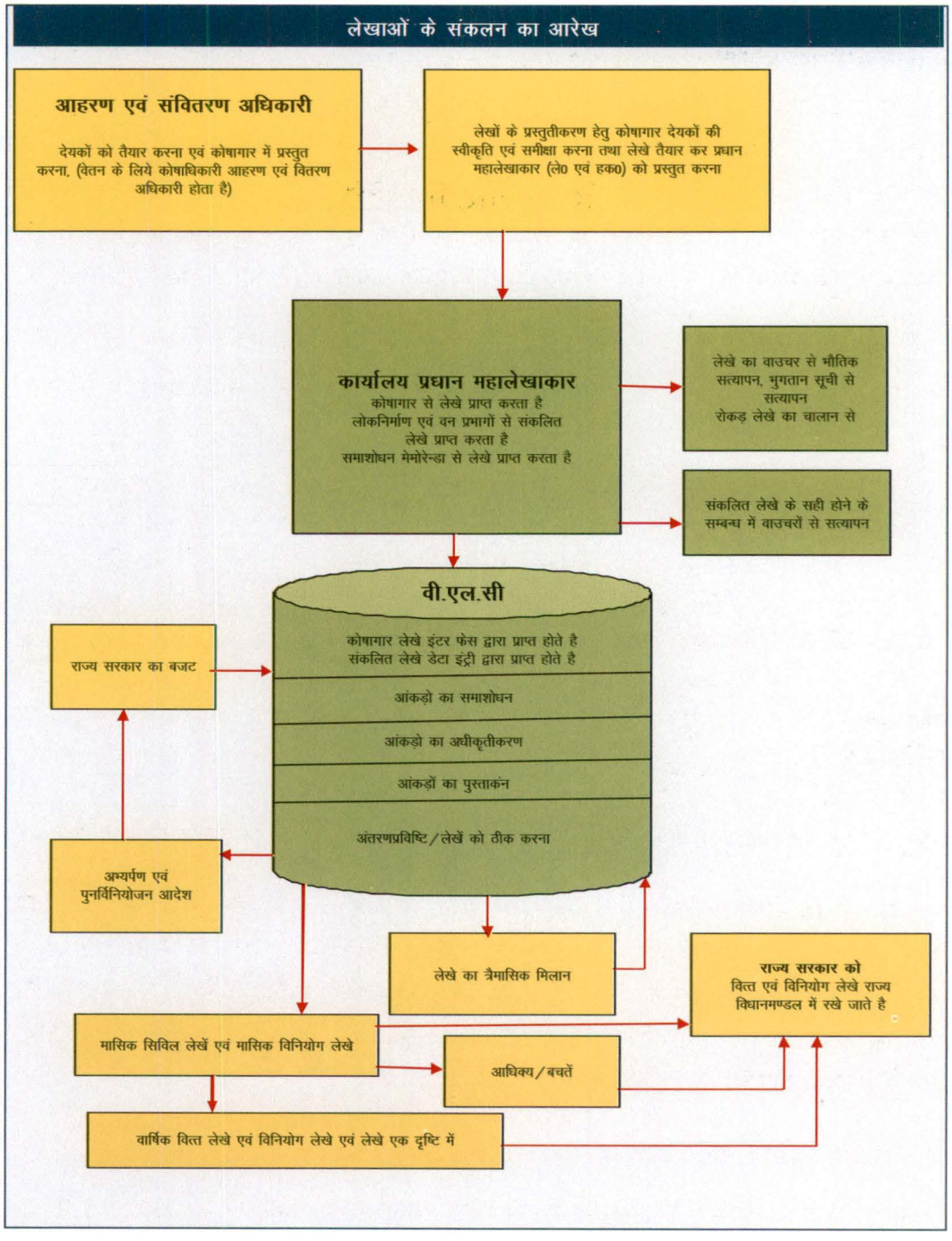
लेखाओं के संकलन का आरेख
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
देयकों को तैयार करना एवं कोषागार में प्रस्तुत करना, (वेतन के लिये कोषाधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी होता है)
लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु कोषागार देयकों की स्वीकृति एवं समीक्षा करना तथा लेखे तैयार कर प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रस्तुत करना
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
कोषागार से लेखे प्राप्त करता है
लोकनिर्माण एवं वन प्रभागों से संकलित लेखे प्राप्त करता है
समाशोधन मेमोरेन्डा से लेखे प्राप्त करता है
लेखे का वाउचर से भौतिक सत्यापन, भुगतान सूची से सत्यापन
रोकड़ लेखे का चालान से
संकलित लेखे के सही होने के सम्बन्ध में वाउचरों से सत्यापन
वी.एल.सी
कोषागार लेखे इंटर फेस द्वारा प्राप्त होते है
संकलित लेखे डेटा इंट्री द्वारा प्राप्त होते है
आंकड़ो का समाशोधन
आंकड़ो का अधीकृतीकरण
आंकड़ों का पुस्ताकंन
अंतरणप्रविष्टि/लेखें को ठीक करना
राज्य सरकार का बजट
अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेश
लेखे का त्रैमासिक मिलान
राज्य सरकार को
वित्त एवं विनियोग लेखे राज्य विधानमण्डल में रखे जाते है
मासिक सिविल लेखें एवं मासिक विनियोग लेखे
आधिक्य/बचतें
वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे एवं लेखे एक दृष्टि में

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं,लोक ऋण एवं लेखे में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिव्ययों के साथ वार्षिक प्राप्तियों एवं व्ययों को चित्रित करते हैं। वर्ष 2009-10 से वित्त लेखे को अधिक बोधगम्य एवं सूचना देयक बनाने हेतु नए आकार में, दो खण्डों में तैयार किया गया है। खण्ड-I में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रमाणीकरण, कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का संक्षिप्त विवरण, लेखे की टिप्पणियां जिसमें लेखा नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखे की विशेषता एवं अन्य मदें सम्मिलित हैं। खण्ड-II में अन्य संक्षिप्त विवरणों (भाग-I) विस्तृत विवरण (भाग-II) एवं परिशिष्ट (भाग-III) सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड शासन के वर्ष 2011-12 में प्राप्तियां एवं व्यय जैसे कि वित्त लेखे में चित्रित है, निम्न है:

प्राप्तियां (योग: 1,55,38.96)	राजस्व (योग: 1,36,91.24)	कर राजस्व	84,81.66
		करेत्तर राजस्व	11,36.13
		सहायक अनुदान	40,73.45
	पूंजीगत (योग: 18,47.72)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	90.65
		उधार एवं अन्य देयताएं	17,57.07
संवितरण (योग: 1,55,38.96)	राजस्व		1,29,75.19
	पूंजीगत		23,16.94
	ऋण एवं अग्रिम		2,46.83

उधार एवं अन्य देयतायें शुद्ध लोक ऋण + शुद्ध आकस्मिकता निधि + शुद्ध लोक लेखा + शुद्ध आरम्भिक और अन्त रोकड़ शेष

संघ सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य कियान्वयन संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को सीधे पर्याप्त निधि स्थानान्तरित करती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹ 20,40.11 करोड़ अवमुक्त किये। चूंकि यह निधि राज्य सरकार के बजट से अग्रेनित नहीं हुई इसलिए यह निधि राज्य सरकार के लेखे में सम्मिलित नहीं है। इन निधियों का ब्यौरा वित्त लेखे में खण्ड II के परिशिष्ट VII में दिखाया गया है।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के अनुपूरक हैं। ये राज्य सरकार के समेकित निधि पर प्रभारित या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित दत्तमत धनराशियों के विरूद्ध व्यय को दर्शाते हैं। इनमें 02 प्रभारित विनियोग, 06 प्रभारित विनियोग एवं दत्तमत अनुदान एवं 23 दत्तमत अनुदान सम्मिलित है।

वर्ष 2011-12 के विनियोग अधिनियम में ₹ 2,10,03.38 करोड़ के व्यय तथा ₹ 15,59.00 करोड़ की वसूलियां जिन्हें व्यय से घटा दिया जाना था, की व्यवस्था की गई थी। इनके विरूद्ध ₹ 1,87,46.56 करोड़ के कुल वास्तविक व्यय तथा ₹ 12,83.55 करोड़ की वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, हुई। परिणामस्वरूप ₹ 22,56.82 करोड़ (10.75 *प्रतिशत*) तथा ₹ 2,75.45 करोड़ (17.67 *प्रतिशत*) की कुल बचत उक्त पर परिलक्षित हुई। सकल व्यय में से ₹ 5.44 करोड़ के व्यय भी सम्मिलित हैं जो सार आकस्मिक देयकों (A.C. bills) के माध्यम से आहरित किए गए, जिसमें से ₹ 3.71 करोड़ के व्यय विस्तृत आकस्मिक देयकों (D.C. bills) के अभाव में वित्तीय वर्ष के अन्त तक असमायोजित थे।

1.4. निधियों के श्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता को बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम सहमतित रोकड़ शेष (0.16करोड़) की कमी पर बैंक द्वारा अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने 305 दिनों तक बिना कोई अग्रिम लिए, 15 दिनों तक साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा 58 दिनों तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखा। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान अधिविकर्ष की आवश्यकता नही पड़ी।

1.4.2. वित्तीय स्थिति का विवरण

राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 7,16.05 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 17,57.07 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.18 *प्रतिशत* और 2.89 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 11.31 *प्रतिशत* है। इस घाटे में लोक ऋण (₹ 13,19.73 करोड़), लोक लेखा (₹ - 2,37.91 करोड़), अप्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि (₹ 57.06 करोड़), आकस्मिकता निधि के कार्पस में कमी (₹ 400.00 करोड) तथा शुद्ध आरम्भिक शेष एवं अन्त: शेष (₹ 2,18.19 करोड़) सम्मिलित है। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,36,91.24 करोड़) का लगभग 59.52 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 52,44.35 करोड़), ब्याज अदागियां (₹ 17,69.21 करोड़) और पेंशन (₹ 11,35.00 करोड़) पर व्यय किया गया।

श्रोत एवं निधियों का उपयोग

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	धनराशि
श्रोत	आरम्भिक रोकड़ शेष 01.04.2011 को	3,28.81
	राजस्व प्राप्तियां	1,36,91.24
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	90.65
	लोक ऋण	32,43.78
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	12,72.45
	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियां	6,50.19
	जमा प्राप्तियां	22,29.42
	सिविल अग्रिम अदायगी	1,01.50
	उच्चंत लेखा	2,03,12.39
	प्रेषण	30,49.66
	आकस्मिकतानिधि	1,26.13
	योग	**4,50,96,22**
उपयोग	राजस्व व्यय	1,29,75.19
	पूंजीगत व्यय	23,16.94
	दिया गया ऋण	2,46.83
	लोक ऋण की अदायगी	19,24.05
	अल्प बचतें, भविष्य निधि एवं अन्य	6,46.40
	आरक्षित एवं ऋण शोधन निधियां	6,17.74
	खर्च किये गये निषेप	21,96.68
	दिया गया सिविल अग्रिम	1,01.34
	उच्चंत लेखा	2,07,75.57
	प्रेषण	35.,15.79
	आकस्मिक निधि	69.07
	आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित	(-)4.00.00
	अन्तिम रोकड़ शेष 31.03.2012 तक	1.10.62
	योग	**4,50,96.22**

1.4.3. धन प्राप्ति के श्रोत

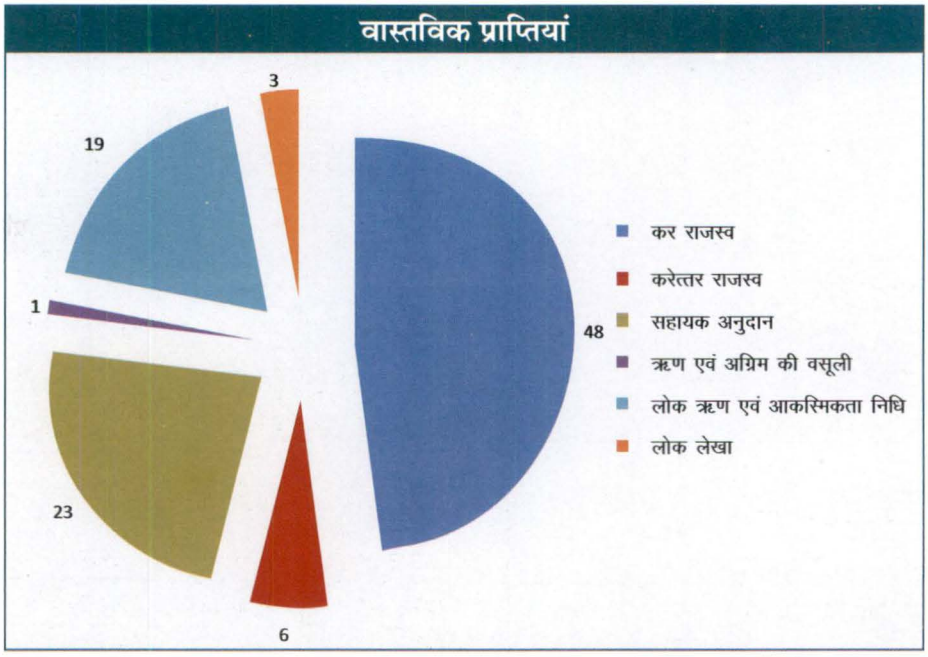

टिप्पणी: उपरोक्त में आकस्मिक निधि, लोक लेखे एवं रोकड़ शेष घटकों को शुद्ध राशि में लिया गया है न कि कुल मे जैसा कि श्रोत एवं उपयोग सारिणी मे दिखाया गया है।

1.4.4. धन व्यय के साधन

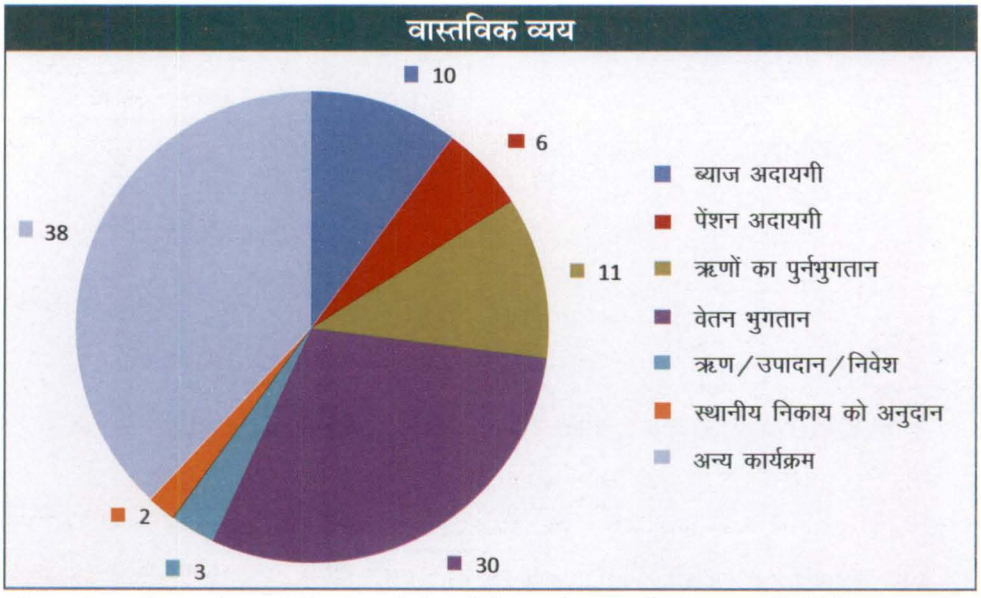

टिप्पणी: उपरोक्त में आकस्मिक निधि,लोक लेखे एवं रोकड़ शेष घटकों को शुद्ध राशि में लिया गया है न कि कुल मे जैसा कि श्रोत एवं उपयोग सारिणी मे दिखाया गया है.

1.5. लेखे के मुख्य बिन्दु

(करोड़ ₹ में)

	बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक आंकड़े 2011-12	बजट अनुमान से वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) से वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत
1. कर राजस्व (आ)	7715.05	8481.66	109.94	13.93
2. करेत्तर राजस्व	1647.11	1136.13	68.98	1.87
3. सहायक अनुदान एवं अशंदान	5272.83	4073.45	77.25	6.69
4. राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	14634.99	13691.24	93.55	22.48
5. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	474.96	90.65	19.09	0.15
6. ऊधार एवं अन्य दायित्व (इ)	2618.25	1757.07	67.11	2.89
7. पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	3093.21	1847.72	59.73	3.03
8. कुल प्राप्तियां (4+7)	17728.20	15538.96	84.72	25.52
9. आयोजनेत्तर व्यय	11163.91	10913.84	97.76	17.92
10. आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	11144.84	10654.11	95.60	17.50
11. ब्याज के भुगतान पर आयोजनेत्तर व्यय (10 से)	1812.03	1769.21	97.64	2.91
12. आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय	19.07	259.73	1358.84	0.43
13. आयोजनागत व्यय	6564.29	4625.12	70.46	7.59
14. आयोजनागत राजस्व व्यय	3180.85	2321.08	72.97	3.81
15. आयोजनागत पूंजीगत व्यय	3383.44	2304.04	68.10	3.78
16. कुल व्यय (9+13)	17728.20	15538.96	87.65	25.52
17. राजस्व व्यय (10+14)	14325.69	12975.19	90.57	21.31
18. पूंजीगत व्यय (12+15) (ई)	3402.51	2563.77	75.33	4.21
19. राजस्व आधिक्य (4-17)	309.30	(+)716.05	331.51	1.18
20. राजकोषीय घाटा (4+5+16)	(-)2618.25	(-)1757.07	67.11	2.89

(अ) सकल राज्य घरेलू उत्पादका आंकड़ा ₹ 6,08,98 करोड़ (अग्रिम अनुमानित, स्थिर मूल्यों पर, आधार वर्ष 2004-05) कार्यालय निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

(आ) संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 28,66.04 करोड़ सम्मिलित।

(इ) शुद्ध लोक ऋण + शुद्ध आकस्मिकता निधि + शुद्ध लोक लेखा + शुद्ध आरम्भिक और अन्त : शेष प्रदर्शित करता है।

(ई) पूंजीगत लेखे के व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 23,16.94 करोड़) और ऋण एवं अग्रिम संवितरण (₹ 2,46.83 करोड़)।

1.6. घाटा और आधिक्य क्या दर्शाता है?

घाटा	राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे के प्रकार, घाटे को कैसे पूरा किया जाये तथा निधियों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग वित्तीय प्रबन्धन की समझ का महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को स्पष्ट करता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता मौजूदा स्थापना को बनाये रखने के लिए होती है,जो कि पूर्णत: राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	कुल प्राप्तियों और कुल व्यय (उधारों को छोड़कर) के अन्तर को स्पष्ट करता है। इसलिए यह अन्तर स्पष्ट करता है, कि किस सीमा तक उधार से व्यय की पूर्ति की जाये। मौलिक रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में विनिवेशित किये जाने चाहिए।

घाटा संकेतक राजस्व वृद्धि एवं व्यय प्रबन्धन शासन के वित्तीय प्रदर्शन को परखने के मुख्य मापदण्ड हैं। तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2011-12 तक राज्य को वित्तीय घाटे को कम करके इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 *प्रतिशत* तक लाने की सिफारिश की है। उसने यह भी सिफारीश को है कि राज्य राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम को संशोधित करे ताकि रेखांकित वित्तीय पथ बनाया जा सके। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किया है तथा इसका संशोधन वर्ष 2011 मे किया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार 1 अप्रैल 2011 से राज्स्व घाटे को कम करके वर्ष 2015 तक खत्म कर देगी तत्पश्चात राज्स्व बचत करेगी।

वर्ष 2011 में ₹ 7,16.05 करोड़ का राज्स्व बचत हुआ है तथा राज्य सरकार वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान को हासिल करने में सफल रही है। संशोधित वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 (3c) के अनुसार राज्य सरकार वित्तीय घाटे को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्माद का 3.5 प्रतिशत तक रखे तथा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक 3 प्रतिशत रखें। वर्ष 2011-12 में वित्तीय घाटा ₹ 17,57.07 करोड़ था जो कि सकल घरेलू उत्पाद (₹ 6,08,98 करोड़) का 2.89 प्रतिशत था अथवा यह 3.5 प्रतिशत के प्रावधान से कम है।

धारा 4 (3e) में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार ऐसी किसी सीमा से अधिक गारंटी नही देगी जो विधि के द्वारा प्रचलन मे न हो अथवा किसी ऐसे कानून मे निर्धारित हो जिससे अकत अधिनियम के लागू हाने के बाद राज्य सरकार बनायेगी। राज्य सरकार ने यह सूचित नही किया है कि ऐसा कोई कानून बनाया गया अथवा नही।

1.6.1. राजस्व घाटा/आधिक्य की प्रवृति

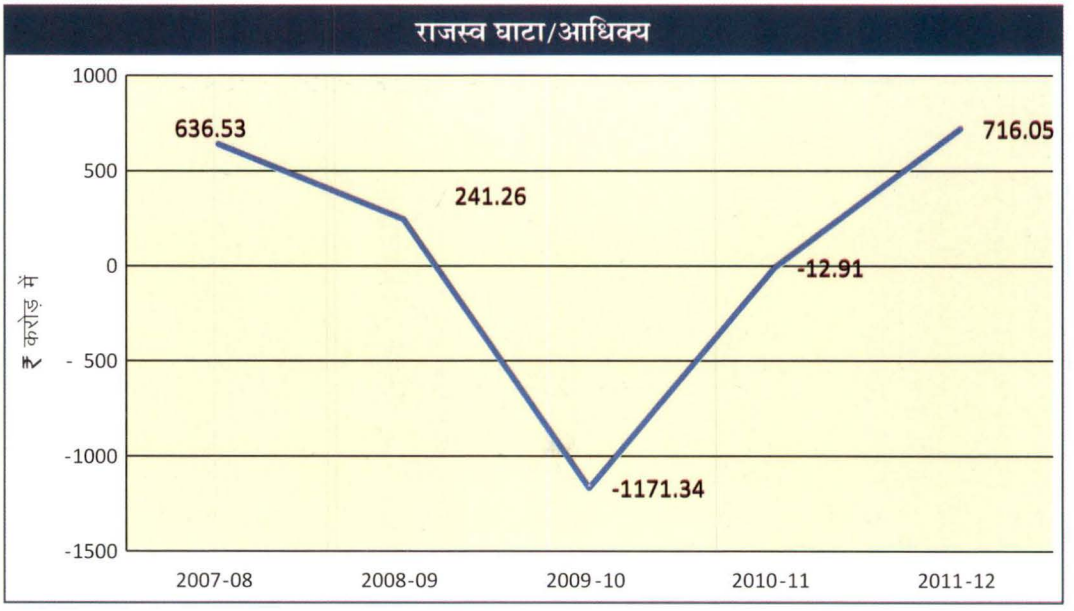

1.6.2. राजकोषीय घाटे की प्रवृति

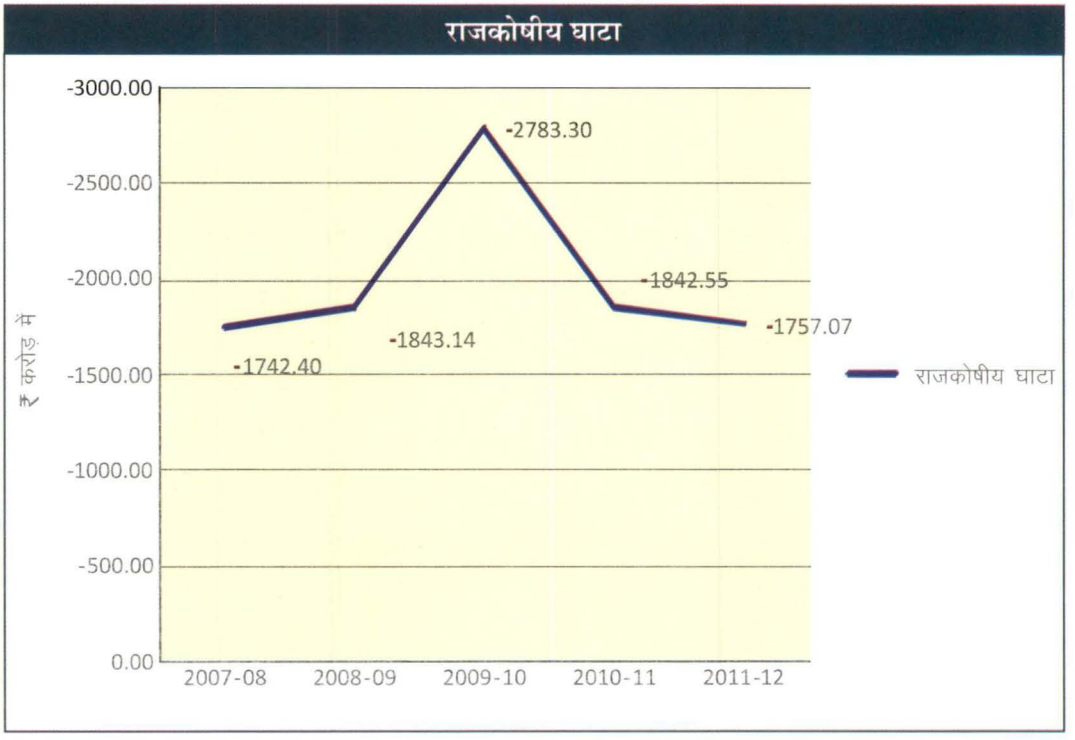

1.6.3. पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अंश

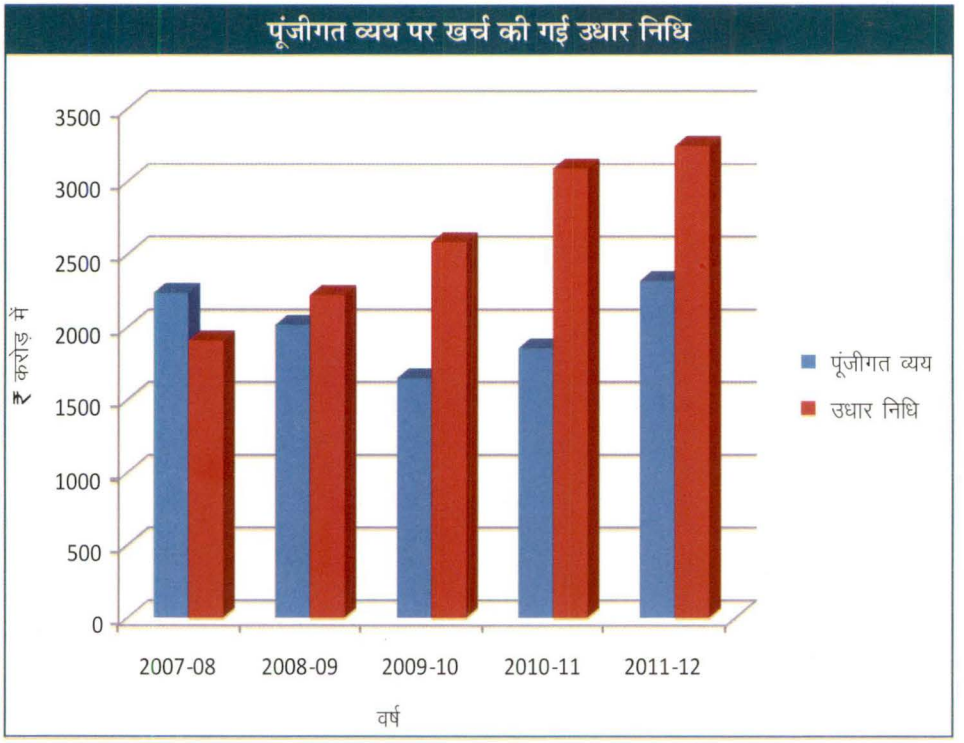

वित्तीय समझदारी है, कि उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन करने में किया जाये। वर्ष 2007-08 में उधार निधियों का पूरा उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने में किया गया तथापि वर्ष 2008-09 से इस प्रवृत्ति को बनाये नही रख सकी। वर्ष 2011-12 में उधार निधियों का केवल 71 प्रतिशत ही पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु उपयोग किया गया।

अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है। वर्ष 2011-12 की कुल प्राप्तियां ₹ 1,55,38.96 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार राज्यों द्वारा वसूले गये व रखे गये एवं संघीय करों से राज्यांश को प्राप्त करना सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	इसमें ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि समिल्लित हैं।
सहायक अनुदान	यह संघ सरकार से राज्य सरकार को सहायता के रूप में है, जिसमें ''बाहय अनुदान सहायता'' एवं सहायता, सामाग्री एवं यन्त्र जो विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होती है, सम्मिलित है। इस प्रवृति में राज्य सरकार भी संस्थाओं को जैसे पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

राजस्व प्राप्तियां (1,36,91.24)

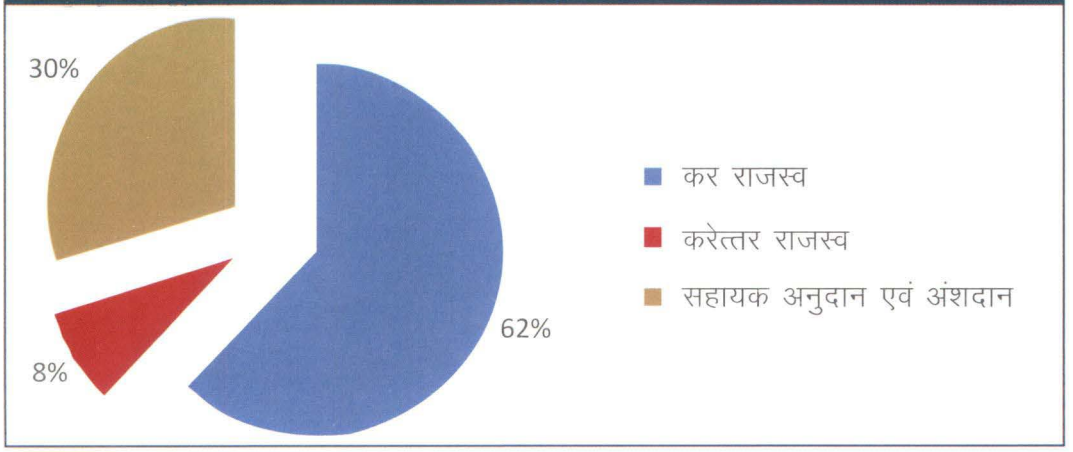

राजस्व प्राप्तियों के घटक (2011-12)

(करोड़ ₹ में)

घटक	वास्तविक
क. कर राजस्व	**84,81.66**
आय एवं व्यय पर कर	17,15.09
संपत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेनदेनों पर कर	5,38.59
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	62,27.98
ख. करेत्तर राजस्व	**11,36.13**
ब्याज प्राप्तियां,लाभाषं एवं लाभ	50.67
सामान्य सेवायें	5,90.21
समाजिक सेवायें	75.46
आर्थिक सेवायें	4,19.79
ग. सहायता अनुदान एवं अशंदान	**40,73.45**
योग- राजस्व प्राप्तियां	1,36,91.24

2.3. प्राप्तियों की प्रवृति

(करोड़ ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर राजस्व	4167(11)	4552(11)	5109(11)	6866(13)	8482(14)
करेत्तर राजस्व	668(2)	699(2)	632(1)	678(1)	1136(2)
सहायक अनुदान	3056(8)	3384(8)	3745(8)	4065(8)	4073(7)
कुल राजस्व प्राप्तियां	7891(21)	8635(20)	9486(20)	11608(22)	13691(22)
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05)	3,80,15	4,28,35(#)	4,78,08(@)	5,21,43(*)	6,08,98(*)

कोष्टकों के अंक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

(#) तीव्रित अनुमान
(@) अग्रिम अनुमान
(*) पूर्वानुमान

उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2007-08 में ₹ 3,80,15 करोड़ से बढ़कर 2011.12 ₹ 6,08,98 करोड़ (पूर्वानुमान स्थिर मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2004-05) हुआ। तथा इसमें 60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियां 74 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वर्ष 2007-08 में ₹ 7891 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 1,36,91 करोड़ हुई। राजस्व प्राप्तियों के तीनों घटकों ने वृद्धि दर्शाई तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता बनाये रखी। कर राजस्व (11 से 14 *प्रतिशत*), करेत्तर राजस्व (1 से 2 *प्रतिशत*) और सहायक अनुदान (21 से 22 *प्रतिशत*)।

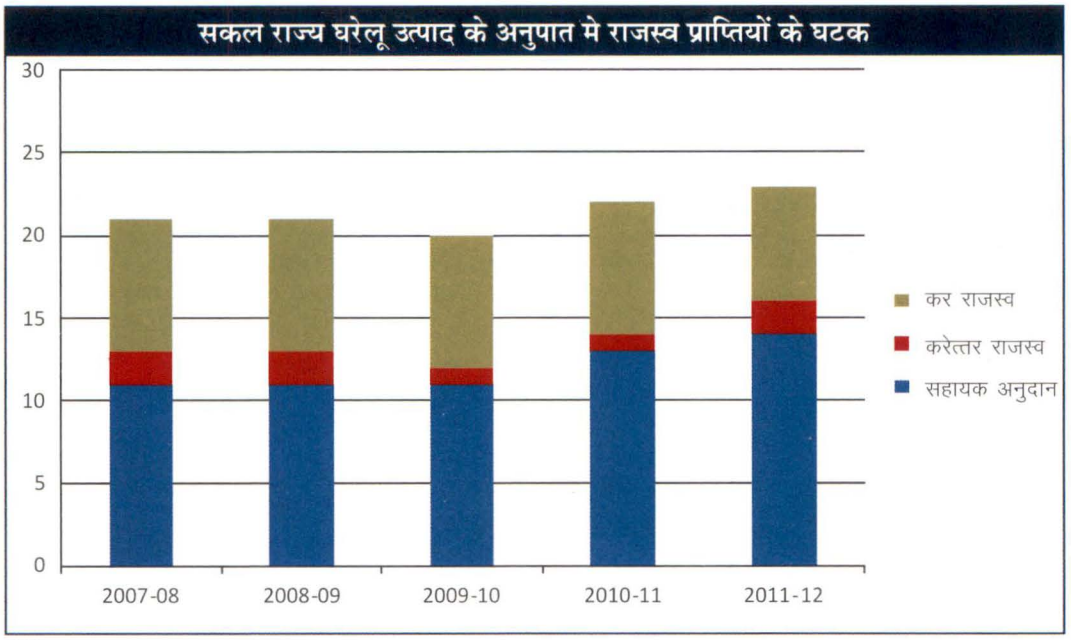

प्रक्षेत्र वार कर राजस्व

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय एवं व्यय पर कर	762	810	1000	1479	1715
संपत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेनदेनों पर कर	448	376	409	460	539
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	2956	3365	3700	4927	6228
कुल कर राजस्व	4166	4551	5109	6866	8482

कर राजस्व के सभी क्षेत्रों मे सकारात्मक वृद्धि देखी गयी।

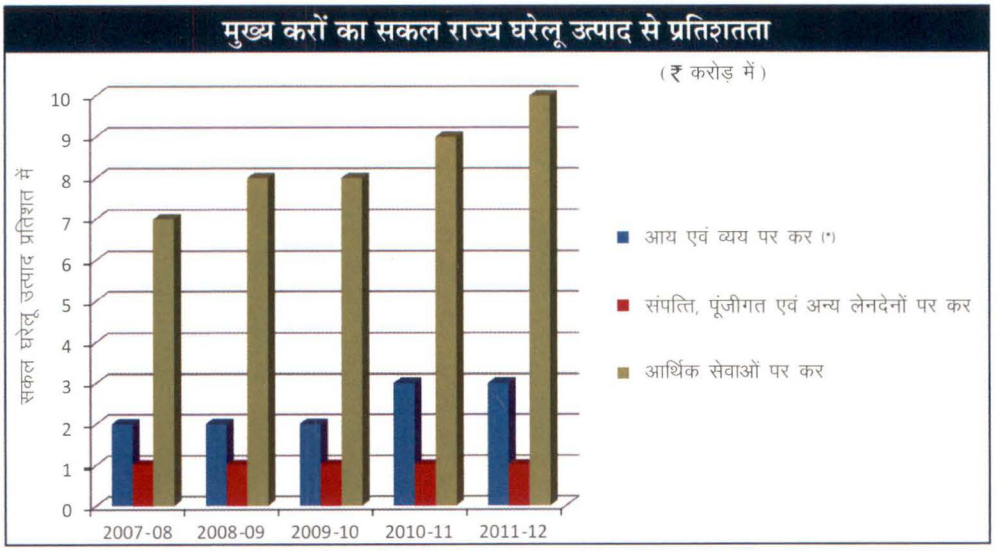

(*) प्रारम्भिक रूप से राज्य को केन्द्रांश की बढ़ोतरी

2.4. राज्य द्वारा स्वयं के कर राजस्व संग्रह की उपलब्धि

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करो में राज्य का अशं	राज्य का अपना कर राजस्व	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	4166	1428	2738	7
2008-09	4551	1507	3044	7
2009-10	5109	1550	3559	7
2010-11	6866	2460	4406	8
2011-12	8482	2866	5616	9

राज्य का अपना कर राजस्व तथा सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता वर्ष 2010-11 में 8 *प्रतिशत* थी और 2011-12 में 9 प्रतिशत रही. यद्यपि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान यह 7 *प्रतिशत* रही।

2.5. कर वसूली की क्षमता

अ. संपत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेनदेनों पर कर

(करोड ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रहण	448	376	409	460	539
संग्रहण पर व्यय	90	98	107	129	130
कर संग्रहण दक्षता प्रतिशता	20	26	26	28	24

आ. वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(करोड ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रह	2956	3365	3700	4926	6228
संग्रह पर व्यय	22	45	42	57	58
कर संग्रह दक्षता प्रतिशता	1	1	1	1	1

2.6. पिछले 5 वर्षों में संघीय करों मे राज्यांश की प्रवृति

(करोड ₹ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निगम कर	453	494	638	962	1128
आय पर निगम कर से भिन्न कर	304	310	355	508	573
सम्पति कर	1	1	1	2	4
सीमा शुल्क	270	288	217	430	497
संघीय उत्पाद शुल्क	257	251	175	314	322
सेवा कर	143	163	164	245	342
संघीय कर में राज्य का अंश	1428	1507	1550	2460	2866
कर राजस्व का योग	4166	4551	5109	6866	8482
कुल राजस्व से संघीय कर का प्रतिशता	34	33	30	36	34

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक सेवा कर को छोड़कर सभी संघीय करों में 1.120 प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा तथा सेवा कर में यह हिस्सा 1.138 प्रतिशत होगा।

2.7. सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करता है, तथा यह राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं एवं योजना आयोग से अनुमोदित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं एवं वित आयोग द्वारा संस्तुत आयोजनेत्तर योजनाओं हेतु अनुदानों को सम्मिलित करता है।

वर्ष 2011-12 मे सहायक अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 4073 करोड़ थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(करोड ₹ में)

वर्ष	आयोजनेत्तर अनुदान	राज्य आयोजनागत योजना	केन्द्रीय आयोजनागत योजना	केन्दीय पुरोनिधानित योजना
2011-12	762	2840	10	462

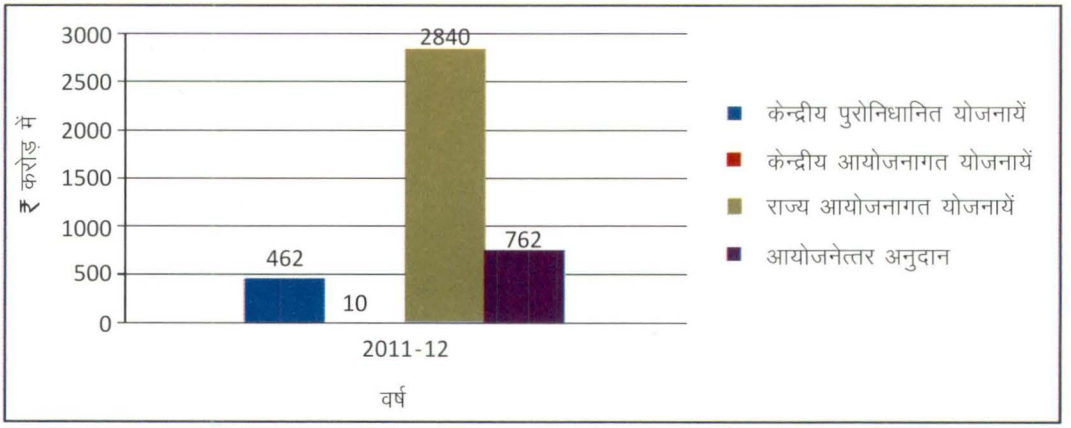

वर्ष 2011-12 में आयोजनेत्तर अनुदानों, केन्द्रीय आयोजनागत योजना के अंश में 47 प्रतिशत की कमी हुई तथा यह वर्ष 2010-11 के ₹ 1456 करोड़ से घटकर ₹ 772 करोड़ हुआ जबकि राज्य आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना का अंश 27 प्रतिशत बढ़ा तथा 2010.11 के ₹ 2609 करोड़ से बढ़कर ₹ 3302 करोड़ हुआ।

2.8. लोक ऋण

5 वर्षों में लोक ऋण की प्रवृति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आन्तरिक ऋण	1141	1248	1215	1891	1300
केन्द्रीय ऋण	(-)17	(-)19	4	17	20
कुल लोक ऋण	1124	1229	1219	1908	1320

वर्ष 2011-12 में ₹ 1159 करोड़ के कुल छः ऋण 8.39 *प्रतिशत* एवं 9.05 *प्रतिशत* के भिन्नात्मक ब्याज दरों पर उठाये गये जो वर्ष 2021-22 तक शोधनीय थे। ₹ 3197 करोड़ के प्राप्त किए गए आन्तरिक ऋणों के विरूद्ध मात्र ₹ 2317 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ, इससे प्रतीत होता है, कि शेष बचे हुए लोक ऋण ₹ 880 करोड़ का उपयोग गैर विकास कार्यों के लिए किया गया।

अध्याय 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय संगठन के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय स्थाई परिसम्पतियों के सृजन, या इस प्रकार की ऐसी परिसम्पतियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को घटाने के लिए किया जाता है, व्ययों को पुन: आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवायें	इसमें न्याय, कारागार, लोक निर्माण कार्य पेंशन सम्मिलित है।
सामाजिक सेवायें	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कल्याण सम्मलित है।
आर्थिक सेवायें	इसमें कृषि,ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा,उद्योग, यातायात इत्यादि सम्मिलित है।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत बजट प्राकलन व्यय में नीचे दिया गया है:

(करोड ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बजट अनुमान	8073	8663	11161	11997	14326
वास्तविक	7255	8394	10657	11621	12975
अन्तर	818	269	504	376	1351
अन्तर का बजट से प्रतिशतता	10	3	5	3	9

बजट अनुमान तथा राजस्व व्यय के अन्तर को राज्य सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए। जिसमें राज्य सरकार से राजस्व तटस्थता (बनाने के बाद राजस्व आधिक्य) बनाये रखने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2011-12 में राजस्व आधिक्य ₹ 716.05 करोड़ रहा। यद्यपि राजस्व व्यय का लगभग 64 *प्रतिशत* वचनबद्व व्ययों जैसे वेतन ₹ 5244 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 1769 करोड़),पेंशन अदायगियां (₹ 1135 करोड़) और सब्सिडी (₹ 220 करोड़) पर व्यय हुआ।

पिछले 5 वर्षों में वचनबद्व/अवचनबद्व राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है।

घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व व्यय	7255	8394	10657	11621	12975
वचनबद्व राजस्व व्यय(*)	3950	5103	6816	7386	8368
अवचनबद्व राजस्व व्यय	3305	3291	3841	4235	4607

(*) वेतन, ब्याज अदायगियां,पेंशन अदायगियां, सब्सिडी सम्मिलित है।

3.2.1. राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रीय वितरण (2011-12)

(करोड ₹ में)

घटक	धनराशि	प्रतिशत
(क) राजकोषीय सेवायें	1,91.80	1.48
(i) संपत्ति एवं पूंजीगत लेनदेनों पर करों का संग्रह	1,30.27	1.00
(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रह	57.85	0.45
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	3.68	0.03
ख. राज्य के अंग	2,03.66	1.57
ग. ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवायें	17,94.21	13.83
घ. प्रशासनिक सेवायें	11,45.39	8.83
ड़. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	11,40.05	8.79
च. सामाजिक सेवायें	60,19.65	46.39
छ. आर्थिक सेवायें	21,01.63	16.20
ज. सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,78.80	2.92
कुल व्यय (राजस्व लेखे)	1,29,75.19	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य श्रोत (2011-12)

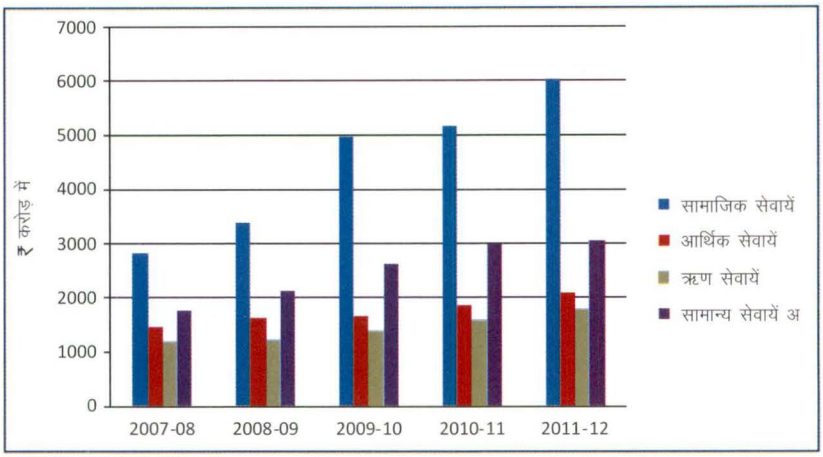

(अ) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य ''लेखाशीर्ष 2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन" तथा ''2049- ब्याज भुगतान सम्मिलित नही है" तथा इसमें मुख्य ''लेखाशीर्ष 3604 (स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित किया गया है"।

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीगत व्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 *प्रतिशत*) अनुमानित बजट से ₹ 839.34 करोड़ कम रहा, (आयोजनागत व्यय में ₹ 1079.40 करोड़ कम रहा एवं आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 240.66 करोड़ अधिक रहा)।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का प्रक्षेत्रीय वितरण

वर्ष 2011-12 के दौरान, सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 441 करोड़ व्यय किये (मुख्य सिंचाई पर ₹ 235 करोड, मध्यम सिंचाई पर ₹ 4 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹ 202 करोड़)। इसके अतिरिक्त सरकार ने बाढ़ नियत्रंण परियोजनाओं पर ₹ 15 करोड, बिजली परियोजनाओं पर ₹ 42 करोड़ एवं सड़कों एवं पुलों पर ₹ 815 करोड़ व्यय किए। उत्तराखण्ड सरकार ने विभिन्न कम्पनियों, निगमों इत्यादि में भी ₹ 42 करोड़ का निवेश किया।

(करोड ₹ में)

कम सख्यां.	सेक्टर	धनराशि	प्रतिशत
1.	**सामान्य सेवायें**- पुलिस भू राजस्व इत्यादि	77	3.00
2.	**सामाजिक सेवायें**- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति अनुसूचितजाति/जनजाति इत्यादि	369	14
3.	**आर्थिक सेवायें**- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, यातायात इत्यादि	1871	73
4.	**ऋण एवं अग्रिम का भुगतान**	247	10
योग		**2564**	**100**

3.3.2. पिछले 5 वर्षों के दौरान पूंजीगत व्ययों का प्रक्षेत्रीय वितरण

(करोड ₹ में)

क्रम सं.	सेक्टर	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	सामान्य सेवायें	201	174	109	105	77
2.	समाजिक सेवायें	418	281	109	235	369
3.	आर्थिक सेवायें	1616	1561	1429	1515	1871
4.	ऋण एवं अग्रिम	130	122	30	60	247
योग		2365	2138	1677	1915	2564

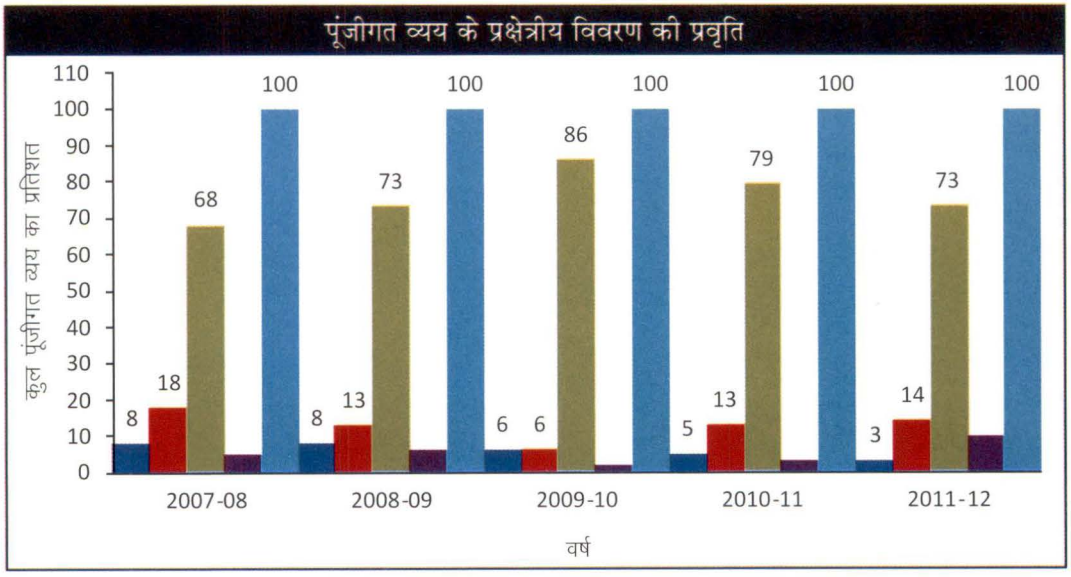

अध्याय 4

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1. व्ययों का भाग (2011–12)

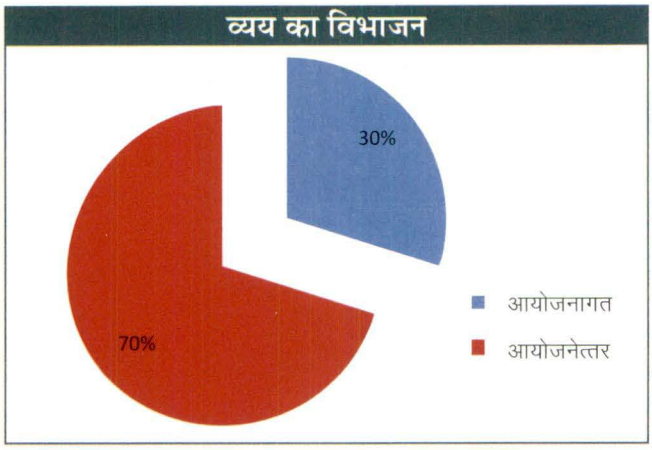

4.2. आयोजनागत व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजनागत व्यय ₹ 4625 करोड़ कुल संवितरणों का 30 *प्रतिशत* था। (राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 4044 करोड़, केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ₹ 348 करोड़ ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 233 करोड़ हुए)।

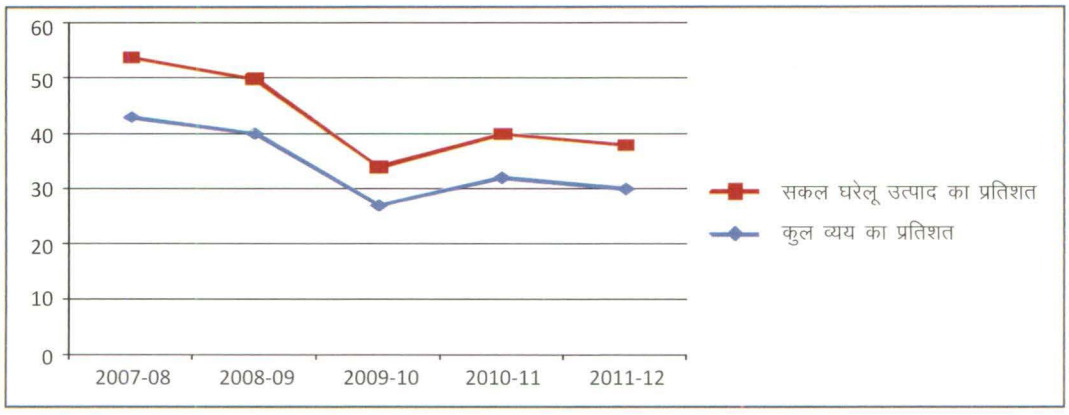

4.2.1. पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय

(करोड ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल पूंजीगत व्यय	2235	2016	1647	1855	2317
पूंजीगत व्यय (आयोजनागत)	2157	1902	995	1859	2071
पूंजीगत व्यय (आयोजनागत) का कुल पूंजीगत व्यय से प्रतिशत	97	94	60	100	89

4.3. आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 10914 करोड़ कुल व्यय का 70 *प्रतिशत* था, (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 10654 करोड़ पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत ₹ 260 करोड़ हुआ।

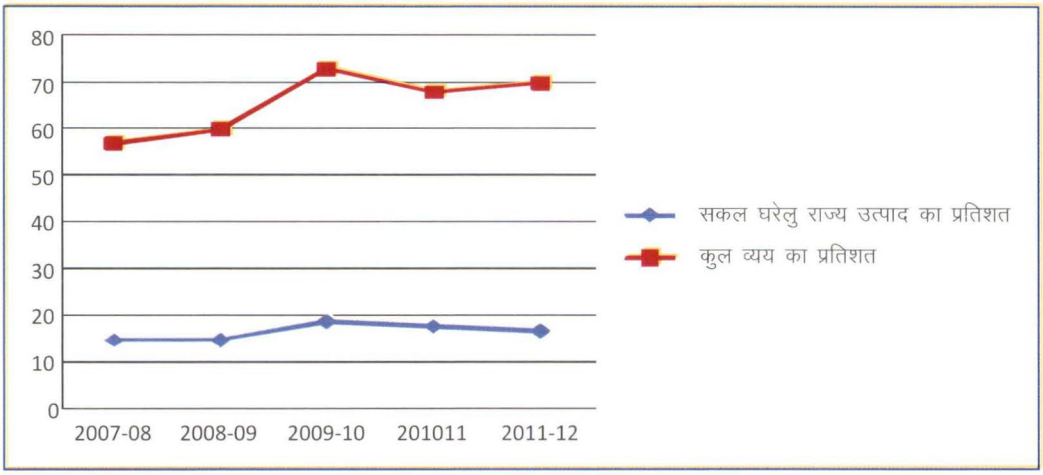

4.4. वचनबद्ध व्यय

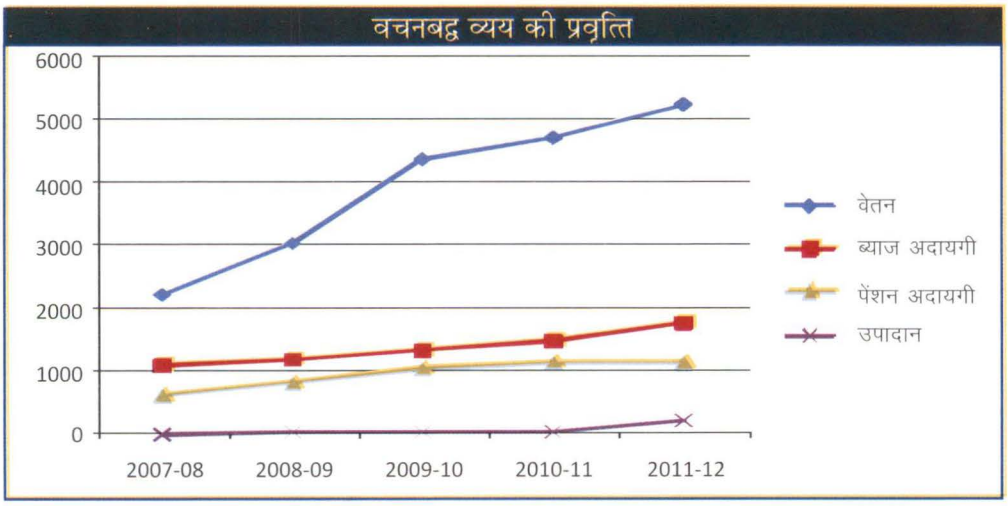

(करोड ₹ में)

घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वचनबद्ध व्यय	3949	5061	6773	7343	8367
राजस्व व्यय	7255	8394	10657	11621	12975
वचनबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	50	59	71	63	61
वचनबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	54	60	64	63	64

वर्ष 2007-08 से वचनबद्ध व्ययों में अधिक बढ़ोतरी की प्रवृति रही इसमें वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 2.11 गुणा वृद्धि हुई। इसके कारण राज्य सरकार के पास विकासात्मक कार्यों के लिए धन की कमी रही।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे का सारांश

(करोड ₹ में)

क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	वास्तविक अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुर्नविनि-योजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,23,02.30	11,14.20	7,66.88	1,26,49.62	1,11,56.11	-14,93.51
	भारित	*20,23.40*	*41.68*	*11.45*	*20,53.63*	*18,28.91*	*-2,24.72*
2.	पूंजीगत						
	दत्तमत	30,93.58	2,34.47	4,15.90	29,12.15	35,85.79	+6,73.64
	भारित	*1.00*	*4.00*	--	*5.00*	*4.88*	*-0.12*
3.	लोक ऋण						
	भारित	*16,38.73*	--	--	*16,38.73*	*19,24.05*	*+2,85.32*
4.	ऋण एवं अग्रिम						
	दत्तमत	3,07.91	2,42.11	1.65	5,48.37	2,46.82	-3,01.55
	योग	1,93,66.92	16,36.46	11,58.88	1,98,07.50	1,87,46.56	-10,60.94

वास्तविक व्यय में पिछले वर्षो का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 59.08 करोड़ भी सम्मिलित है जिसमें ₹ 57.40 करोड़ राजस्व प्रभाग तथा ₹ 1.68 करोड़ पूंजीगत प्रभाग से संबन्धित है।

5.2 पिछले 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृति

(करोड ₹ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2007–08	-5,12.64	+5,84.55	+2,89.48	-10.15	+3,51.24
2008–09	-10,73.22	+5,34.31	+4,62.02	-8.18	-85.07
2009–10	-11,46.92	+7,56.00	+61.10	-2,78.04	-6,07.86
2010–11	-10,62.77	+10,28.01	-20.09	-52.84	-1,07.69
2011–12	-17,18.23	+6,73.52	+2,85.32	-3,01.55	-10,60.94

5.3. महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान में अत्यधिक बचत का होना, किसी योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन न होना या क्रियान्वयन मन्द गति से होना व्यक्त करता है।

कुछ अनुदानों में हुई निरन्तर एवं महत्वपूर्ण बचतें (प्रतिशत में) निम्नत: हैं-

अनुदान	नामांकन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
01	विधान सभा (राजस्व, दत्तमत)	17.77	11.89	11.74	18.03	9.66
01	विधान सभा (राजस्व, प्रभारित)	60.09	8.63	24.96	42.52	38.76
02	राज्यपाल (राजस्व, प्रभारित)	25.68	22.28	20.54	12.84	14.81
04	न्याय प्रशासन (राजस्व, दत्तमत)	38.88	28.90	36.90	30.28	26.86
04	न्याय प्रशासन (राजस्व, प्रभारित)	46.59	38.59	51.67	46.91	45.34
05	निर्वाचन (राजस्व, दत्तमत)	26.37	21.20	13.11	9.68	14.17
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व, दत्तमत)	10.76	22.65	14.68	7.44	4.95
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व, प्रभारित)	20.97	3.82	0.59	11.60	22.00
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूंजीगत, दत्तमत)	5.65	25.19	72.20	53.15	47.31
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (राजस्व, दत्तमत)	8.75	23.53	21.29	5.68	25.23
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (राजस्व, प्रभारित)	8.37	7.78	9.45	8.06	10.83
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (पूंजीगत, दत्तमत)	15.76	28.88	34.04	13.08	48.10
08	आबकारी (राजस्व, दत्तमत)	18.90	3.42	3.28	12.56	22.34

अनुदान	नामांकन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
09	लोक सेवा आयोग (राजस्व, प्रभारित)	23.70	24.64	9.95	9.73	14.58
10	पुलिस एवं जेल (पूंजीगत, दत्तमत)	28.92	12.38	62.76	20.42	75.09
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण (पूंजीगत, दत्तमत)	10.25	9.75	13.57	37.72	57.89
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (राजस्व, दत्तमत)	22.33	23.17	16.36	17.37	18.78
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत, दत्तमत)	30.33	50.32	32.62	48.31	30.33
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (राजस्व, दत्तमत)	14.48	12.58	5.41	43.97	36.33
15	कल्याण योजनायें (राजस्व, दत्तमत)	13.51	28.15	23.54	18.00	30.51
15	कल्याण योजनायें (पूंजीगत, दत्तमत)	19.87	43.92	66.94	79.99	68.42
16	श्रम और रोजगार (राजस्व, दत्तमत)	60.81	51.47	10.88	16.74	17.35
19	ग्राम्य विकास (राजस्व, दत्तमत)	16.02	13.29	18.99	16.25	23.90
19	ग्राम्य विकास (पूंजीगत, दत्तमत)	19.45	13.76	19.56	18.50	30.88
21	ऊर्जा (पूंजीगत, दत्तमत)	0.25	65.83	35.76	72.34	78.68
22	लोक निर्माण कार्य (राजस्व, प्रभारित)	57.67	38.19	53.61	73.25	40.62
23	उद्योग (राजस्व, दत्तमत)	26.55	24.10	3.03	8.00	18.37
23	उद्योग (पूंजीगत, दत्तमत)	58.19	17.21	56.52	78.56	94.62
24	परिवहन (राजस्व, दत्तमत)	31.87	43.51	26.13	11.88	6.63
24	परिवहन (पूंजीगत, दत्तमत)	64.08	91.69	29.00	10.72	8.08

अनुदान	नामांकन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
25	खाद्य (राजस्व, दत्तमत)	33.96	46.81	17.15	23.36	37.69
26	पर्यटन (राजस्व, दत्तमत)	2.42	7.59	14.48	11.31	52.16
26	पर्यटन (पूंजीगत, दत्तमत)	0.35	8.10	56.11	34.93	40.60
27	वन (पूंजीगत, दत्तमत)	68.36	12.19	1.51	8.49	34.58
28	पशुपालन संबन्धी कार्य (पूंजीगत, दत्तमत)	7.90	30.39	9.42	26.46	25.79
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व, दत्तमत)	50.99	27.39	19.71	19.66	33.86
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूंजीगत, दत्तमत)	28.79	44.97	54.55	45.32	51.68
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व, दत्तमत)	31.95	36.31	18.95	31.77	31.54
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूंजीगत, दत्तमत)	28.94	39.15	38.70	48.89	54.50

वर्ष 2011-12 में ₹ 16,36.46 करोड़ (मूल अनुदान का 8.45 प्रतिशत) के अनुपूरक अनुदान कुछ दशाओं में जहां मूल आवंटन में ही वर्ष के अन्त में बचत रही, अनावश्यक सिद्ध हुए। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं-

(करोड ₹ में)

अनुदान	नामांकन	अनुभाग	वास्तविक	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
02	राज्यपाल	राजस्व प्रभारित	5.16	0.08	4.47
04	न्याय प्रशासन	राजस्व दत्तमत	1,02.38	2.07	76.40
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व दत्तमत	8,44.63	42.62	8,43.32

अनुदान	नामांकन	अनुभाग	वास्तविक	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व प्रभारित	1.61	0.11	1.34
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	पूंजीगत दत्तमत	49.00	3.00	27.40
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व दत्तमत	22,43.70	55.97	17,19.58
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व प्रभारित	19,74.03	38.96	17,95.04
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	पूंजीगत दत्तमत	1,17.80	32.77	78.14
08	आबकारी	राजस्व दत्तमत	9.90	0.10	7.77
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व दत्तमत	6,67.28	43.72	6,60.48
10	पुलिस एवं जेल	पूंजीगत दत्तमत	49.00	10.40	14.80
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	पूंजीगत दत्तमत	2,71.05	16.22	1,20.95
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व दत्तमत	8,03.83	16.28	6,66.12
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	पूंजीगत दत्तमत	1,19.66	8.94	89.60
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व दत्तमत	6,46.94	2.07	4,13.24
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	पूंजीगत दत्तमत	81.50	15.05	80.78
15	कल्याण योजनायें	राजस्व दत्तमत	5,52.63	94.44	4,49.62
15	कल्याण योजनायें	पूंजीगत दत्तमत	25.40	6.80	10.17
16	श्रम और रोजगार	राजस्व दत्तमत	68.37	3.06	59.04
16	श्रम और रोजगार	पूंजीगत दत्तमत	16.15	0.78	10.47

अनुदान	नामांकन	अनुभाग	वास्तविक	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
18	सहकारिता	राजस्व दत्तमत	35.23	7.08	32.01
19	ग्राम्य विकास	राजस्व दत्तमत	3,23.11	64.74	2,95.14
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व दत्तमत	3,07.71	15.98	2,98.68
21	ऊर्जा	राजस्व दत्तमत	8.01	6.02	7.64
21	ऊर्जा	पूंजीगत दत्तमत	4,48.92	2,27.11	1,44.11
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व दत्तमत	4,20.43	17.10	4,02.10
23	उद्योग	राजस्व दत्तमत	75.24	3.53	64.30
24	परिवहन	राजस्व दत्तमत	19.95	0.69	19.27
24	परिवहन	पूंजीगत दत्तमत	1,55.26	0.15	1,42.86
25	खाद्य	राजस्व दत्तमत	3,27.52	0.20	2,04.20
26	पर्यटन	राजस्व दत्तमत	53.70	5.09	28.12
26	पर्यटन	पूंजीगत दत्तमत	46.28	1.00	28.08
28	पशुपालन संबन्धी कार्य	पूंजीगत दत्तमत	10.04	1.00	8.19
29	औद्यानिक विकास	राजस्व दत्मत	1,00.30	13.58	98.94
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व दत्तमत	5,34.49	37.34	3,78.20
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	पूंजीगत दत्तमत	3,38.68	2.80	1,64.99
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व दत्तमत	1,27.70	16.10	98.44
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	पूंजीगत दत्तमत	1,00.00	0.36	45.67

अध्याय 6

परिसम्पत्तियां एवं देयतायें

6.1. परिसम्पत्तियां

वर्ष में भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने का वर्ष के अतिरिक्त लेखे की मौजुदा प्रणाली शासकीय परिसम्पतियों जैसे भूमि भवन इत्यादि का आसानी से मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करती है। इसी के समरूप जब लेखे चालू वर्ष में दायित्व के प्रभाव को प्रस्तुत करते है, वे सिवाए ब्याज दरों एवं मौजूदा ऋण के समय के अतिरिक्त दायित्वों के भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रभावों को प्रस्तुत नहीं करते है।

वर्ष 2011-12 के अन्त में गैर वित्तीय लोक क्षेत्र उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में भी विनिवेश ₹ 1338 करोड़ था। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 42 करोड़ का विनिवेश बढ़ा जबकि लाभांश ₹ 0.16 करोड़ घटा।

भारतीय रिर्जव बैंक में रिर्जव बैंक अवशेष (जमा) ₹ 218.19 करोड़ की कमी के साथ मार्च 2012 में ₹ 116.01 करोड़ (जमा) था।

6.2. ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर नियत निर्धारित सीमा तक राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है।

राज्य सरकार के लोक ऋण एवं कुल दायित्वों का वितरण निम्नवत है।

(करोड ₹ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*)	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयतायें	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2007-08	11678	31	2714	7	14392	38
2008-09	12866	30	3410	8	16276	38
2009-10	14076	29	4672	10	18748	39
2010-11	15984	31	5614	11	21598	41
2011-12	17304	28	6306	10	23610	39

(*) उच्चंत एवं प्रेषण अवशेषों को छोड़कर।

नोट: वर्ष के अन्त में आंकड़ों का प्रगामी शेष

वर्ष 2010-11 की तुलना में लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों में ₹ 2012 करोड़ (9 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

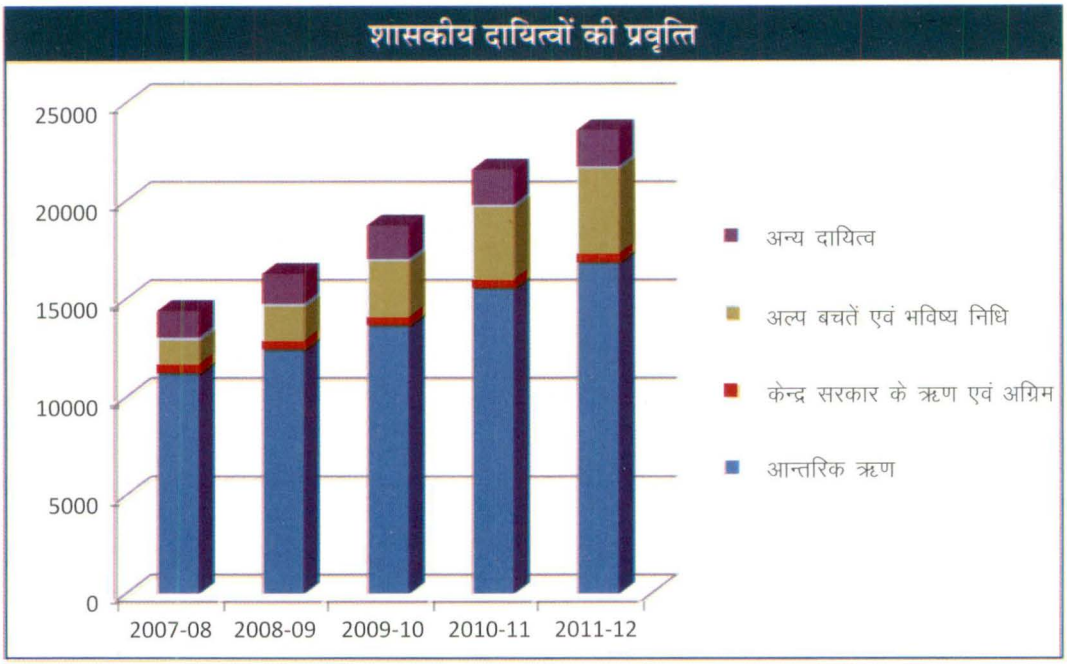

(*) बिना ब्याज की देयताएं जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उददिश्ट निधियां इत्यादि।

भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बाजार से ऋण लिए जाने की सीमा निर्धारित करती है।

6.3. प्रतिभूतियां

राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियां, सहकारी समितियों इत्यादि के ऋणों के भुगतान तथा इन ऋणों के भुगतान हेतु दी गई प्रतिभूतियां की स्थिति निम्नवत् है।

वर्ष के अन्त तक	अधिकतम प्रत्याभूति धनराशि (मूलधन) मात्र	अधिशेष धनराशि 31 मार्च 2012	
		मूलधन	ब्याज
2007-08	सूचना उपलब्ध नही है	1677	सूचना उपलब्ध नही है
2008-09	सूचना उपलब्ध नही है	1802	सूचना उपलब्ध नही है
2009-10	सूचना उपलब्ध नही है	1511	सूचना उपलब्ध नही है
2010-11	2122(*)	1511	सूचना उपलब्ध नही है
2011-12	2721(*)	1740	सूचना उपलब्ध नही है

(*) राज्य सरकार से प्राप्त आंशिक सूचना के आधार पर गणना की गई है।

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2011-12 के अन्त में राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम ₹ 874.08 करोड़ के थे। इसमें ₹ 806.38 करोड के ऋण एवं अग्रिम निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायो के मूलधन एवं ब्याज की धनराशियों का विवरण उपलब्ध नही है।

7.2. स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले 5 वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान वर्ष 2007-08 में ₹ 309.78 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 378.79 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान जिला परिषद, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं को (₹ 237.42 करोड) दिया गया। जो कि कुल दिये गये अनुदानों का 62.68 प्रतिशत था।

पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है।

(करोड ₹ में)

वर्ष	नगर पालिका		जिला परिषदें	नगर पंचायत	अन्य	योग
2007-08	21.46	73.65	38.46	15.82	160.39	309.78
2008-09	18.73	72.63	33.24	14.84	135.33	274.77
2009-10	26.66	79.66	40.30	16.16	161.95	324.73
2010-11	32.50	98.37	48.31	21.26	207.24	407.68
2011-12	50.05	102.23	61.67	23.47	141.37	378.79

7.3. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश

(करोड ₹ में)

घटक	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 तक	शुद्ध वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	3,28.80	1,10.63	(-)218.17
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार देयकों से)	....	50.21	(+)50.21
उद्दिष्ट निधि के शेष से निवेश	9,03.62	9,27.36	(+)23.74
(a) ऋण शोधन निधि	878.62	902.36	(+)23.74
(b) प्रत्याभूति मोचन निधि	25.00	25.00	..
(c) अन्य निधियां	..	...	...
अवमुक्त ब्याज	13.78	10.40	(-)3.38

वर्ष 2011-12 के अन्त तक राज्य सरकार के पास अन्तिम रोकड़ शेष धनात्मक था। वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार ने उद्दिष्टि निधियों में ₹ 927.36 करोड़ का निवेश किया था।

7.4. लेखों का मिलान

अन्य बातों के साथ साथ लेखों की परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता विभागों से उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) मे संकलित लेखों से प्राप्त आंकड़ों से मिलान पर निर्भर करती है। इस अभ्यास का संचालन सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखों का मिलान अब भी अवशेष है। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 1,52,92.12 की व्यय मे से मात्र ₹ 93,28.20 (73 *प्रतिशत*) का मिलान हुआ है। कुल प्राप्तियों ₹ 1,36,91.24 करोड़ मे से मात्र ₹ 1,20,16.96 करोड का मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रक अधिकारियों के लेखों के मिलान की स्थिति निम्न है:

विवरण	मुख्य नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नही किया गया
व्यय	62	29	16	17
प्राप्तियां	48	11	14	23

मिलान मे निरन्तर चूक करने वाले या मिलान न कराने वाले विभागों की सूची निम्नत:है।

कम सं.	विभाग का नाम मुख्य नियत्रंण अधिकारी	वर्ष/वर्षो लम्बित
1.	सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 जव 2011-12
2.	आयुक्त, दुर्घटना राहत, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 जव 2011-12
3.	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 जव 2011-12
4.	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2007-08 जव 2011-12
5.	आयुक्त, खाद्य एवं रसद आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	2010-11 जव 2011-12

7.5. कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

(i) वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के 29 कोषागारों द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड को 696 प्रस्तुत किये गये लेखों में से 141 लेखे देरी से भेजे गये। देरी 1 से 12 दिनों की रही।

(ii) 31 मार्च 2012 को लोक निमार्ण विभाग के खण्ड़ों की कुल संख्या 180 थी। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त लेखों की संख्या 2057 थी। इनमें से 478 लेखे देरी से प्राप्त हुए। देरी 1 से 12 दिनों की रही।

(iii) सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा समय पर लेखे भेजे गये।

(iv) वन विभाग के कुल खण्ड़ों की संख्या 57 है एवं वर्ष 2011-12 के दौरान 684 लेखे भेजे गये। 190 लेखे देरी से प्राप्त हुए। देरी 1 से 11 दिनों की रही।

7.6. सार आकस्मिक व्यय बिल एवं ब्यौरेवार बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिमरूप मे होती है या जब आहरण एवं वितरण अधिकारी धन की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने मे असमर्थ होता है। तो वें आधारभूत दस्तावेजों के बिना ही धन का आहरण सार आकस्मिक व्यय बिलों के माध्यम से कर सकते हैं। ये सार आकस्मिक व्यय बिलों को 90 दिनों के अन्दर ब्यौरेवार बिलों को प्रस्तुत करके व्यवस्थित कर लिए जाने की आवश्यकता होती है। तथ्य यह है कि 31 मार्च 2012 को ₹ 53.97 करोड़ के 345 ब्यौरेवार बिल अवशेष थे, इससे प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध मे जारी निर्देशों का पालन नही किया गया है।

वर्ष	अवशेष धनराशि (करोड़ ₹ मे।)	मदों की संख्या
2009-10	4.34	16
2010-11	45.92	170
2011-12	03.71	159

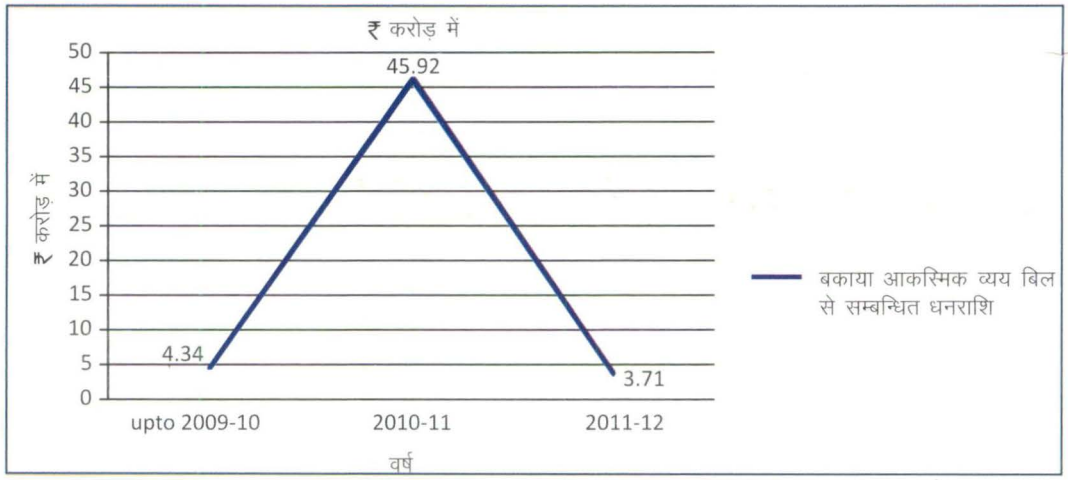

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में' का छठा संस्करण है। इस प्रकाशन का उद्देश्य हितधारको को वृहद वित्त एव विनियोग लेखे की लाभदायक सूचना उपलब्ध कराना है। वर्ष 2009-10 से विभिन्न प्रतिवेदनो के प्रयोजनो एवं प्रस्तुतीकरण मे बहुत बदलाव किए गये है। इन प्रतिवेदनों की मदद से भारतीय लेखा एव लेखा परीक्षा विभाग, जो कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन काम करता है, हितधारको, विधानमण्डल, कार्यपालिका एवं जनता को वित्तीय मापदण्डों एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। सरकार की वित्तीय स्थिति को और अधिक स्पष्ट किए जाने हेतु वित्त लेखे के प्रारूप एवं प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गये है, तथा अतिरिक्त विवरणों को सम्मिलित किया गया है। फलस्वरूप वित्त लेखे को दो खण्डों में तैयार किया गया है। खण्ड I विभिन्न वित्तीय लेनदेनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि इन लेनदेनों का ब्यौरा एवं कुछ अतिरिक्त सूचनाएं खण्ड II में दिए गये है। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए 'लेखे एक दृष्टि में' को अधिक बोधगम्य तथा उपयोगी बनाने के लिए नये रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वित्त एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त के प्रतिवेदन एवं 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अध्ययन हितधारकों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को और अधिक प्रभावकारी ढ़ंग से समझने में सहायता प्रदान करेगा।

हम उन सुझावों का स्वागत करते है जो कि प्रकाशन के सुधार में सहायक हो।

(महुआ पाल)
प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
उत्तराखण्ड

देहरादून
दिनांक: 03-12-2012